भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं0 209
दिनांक 08 जुलाई, 2019

पेट्रोलियम उत्पादों का एक समान मूल्य निर्धारण

209. श्री राहुल कस्वां:
डॉ. एम. के. विष्णु प्रसादः

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनेक राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने केन्द्रं सरकार से देश में पेट्रोल, डीजल एवं अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को एक समान करने के लिए प्रावधन करने का अनुरोध किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कमी तथा वृद्धि की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या औचित्य है;

(ग) क्या सरकार का पेट्रोल/डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती करके इनकी कीमतों को नियंत्रित करने का भी प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा एलपीजी पर तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिट्टी के तेल की खुदरा बिक्री पर प्रदान की गई राज-सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद भी पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"पेट्रोलियम उत्पादों का एक समान मूल्य निर्धारण" के संबंध में संसद सदस्य श्री राहुल कस्वां और डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद द्वारा पूछे गए दिनांक 08 जुलाई, 2019 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 209 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): भाड़ा और स्थानीय करों/उगाहियों के चलते पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के मूल्य अलग-अलग हैं।

(ख) और (ग): सरकार ने पेट्रोल और डीजल के मूल्यों को क्रमश: 26.06.2010 और 19.10.2014 से बाजार निर्धारित बना दिया है। तब से, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यों तथा अन्य बाजार दशाओं के अनुसार पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेती हैं। सरकार राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी के उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी मूल्य और पीडीएस मिट्टी तेल के खुदरा बिक्री मूल्य को आवश्यकतानुसार घटाती-बढ़ाती रहती है। तेल विपणन कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यों, विनिमय दरों, कर संरचना, अंतरर्देशीय भाड़ा तथा अन्य लागत घटकों सहित विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद खुदरा बिक्री मूल्य पर निर्णय लेती हैं।

पेट्रोल और डीजल के मूल्य को कम करने और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने दिनांक 04 अक्तूबर, 2017 से पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की थी। केंद्र सरकार ने दिनांक 05 अक्तूबर, 2018 से पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 1.50 रुपए प्रति लीटर की और कमी कर दी और सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज ने भी पेट्रोल और डीजल के समग्र मूल्य को 1.00 रुपए प्रति लीटर कम कर दिया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से भी उनके द्वारा पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए वैट में 2.50 रुपए प्रति लीटर की कमी करने का अनुरोध किया था। तदनुसार, 18 राज्य सरकारों और 1 संघ शासित प्रदेश ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम कर दिया है।

वर्ष 2016-17 से पेट्रोल और डीजल के मूल्य पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) की वैबसाइट अर्थात www.ppac.org.in

पर उपलब्ध हैं और घरेलू एलपीजी तथा पीडीएस मिट्टी तेल के मूल्य आईओसीएल की वेबसाइट अर्थात www.iocl.com पर उपलब्ध हैं।

(घ) : वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी पर ओएमसीज को प्रतिपूर्ति की गई राजसहायता के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रुपए)

राजसहायता प्रतिपूर्ति का विवरण	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20(जून, 2019 तक)**
पीडीएस मिट्टी तेल	8,696	4,296	4,100
घरेलू एलपीजी	13,122	16,570	21,449
कुल राजसहायता/अल्प वसूली	21,818	20,866	25,549

(ड.) : जैसा ऊपर बताया गया है, पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संबंधित उत्पादों के मूल्यों से जुड़े होते हैं।

******